

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)-जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्वाकर्षी
2. प्रकरण संख्या : 26/2025
3. उनवान : 1. रुकमा देवी पुत्री भूरी देवी बेवा तुलसा
2. छोटी देवी पुत्री भूरी देवी बेवा तुलसा
3. लक्ष्मा देवी पुत्री भूरी देवी बेवा तुलसा
4. गिरधारी दत्तक पुत्र रामदयाल
5. माली देवी पुत्री रामदयाल
6. सीता देवी पुत्री रामदयाल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम हरसोली तहसील
किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल
जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नी रामदयाल
3. घीसा पुत्र दूला
4. रामनिव.स पुत्र तुलसा
5. कानाराम पुत्र तुलसा
समस्त जाति अहीर निवासी हरसोली तहसील किशनगढ़
रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 28.08.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट सं0 1 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य हैं कि राजस्व ग्राम हरसोली, तहसील
किशनगढ़ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 65/1, 66, 73/1,
75/1, 75/4, 89/1, 90/1, 210/4, 566/5, है, जो संवत् 2059 से 2062 की
राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के पूर्वज एवं रेस्पोंडेन्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही
उक्त आराजीयात माफ़ी मन्दिर श्री किशन विहारी जी वाके देह किशनगढ़ के नाम दर्ज
कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज स्व० तुलसा पुत्र
दूला जाति अहीर के नाम दर्ज रही। उक्त आराजीयात संवत् 2008 से 2029 भू-प्रबंध
विभाग खलीनी के कॉलम संख्या 5 में तुलसा पुत्र दूला के नाम अंकित थी। जिस पर
अपीलान्ट के पूर्वज एवं उनके बाद अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट उक्त आराजीयात पर काबिज
कास्त करते आ रहे हैं, जो पुख्ता मकानात गय विद्युत कनेक्शन, कृषि कनेक्शन स्थापित
कर निवास करते आ रहे हैं। जिसको दरकिनार कर अधिनस्थ न्यायालय नायब
तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट को उनके हक व

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलधीन नामान्तकरण संख्या 807 दिनांक 27/07/2004 का माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी जी महाराज सा० देह के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट्स की अपील रवीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 807 दिनांक 27/07/2004 को अपास्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को बहाल कर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट 1 अपीलधीन नामान्तकरण संख्या 807 दिनांक 27/07/2004, छतौनी बन्दोबस्त संवत 2008 से 2029, जमाबन्दी संवत 2015-2062 खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी संवत 2079 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट सं० 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगा० 5 के तलबी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगा० 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

रेस्पोंडेन्ट सं० 1 तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल के पत्रांक 5070 दिनांक 21/08/2025 में अंकित है कि ग्रा० हरसोली की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 282 में खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर किस्म बारानी-ए, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.3541 हैक्टेयर किस्म चाही-प्रथम, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 75/4 रकबा 0.3161 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 89/1 रकबा 0.4046 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम खसरा नम्बर 90/1 रकबा 0.4805 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 210/4 रकबा 1.2645 हैक्टेयर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 566/5 रकबा 1.3277 हैक्टेयर किस्म बारानी-ए माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज है। भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) जमाबन्दी (खतोनी) के खाता संख्या 195 में खसरा नम्बर 65/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 75/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 90/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/4 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 566/5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ़ रेनवाल के पुजारी राधिकादास चेला हरिकशन दास ब्राह्मण स्वामी सा.देह हस्तेडा फौत हो गए काविज हरी बल्लभदास दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 05 में तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर निवास स्थान निज ग्राम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2015-18 के खाता सं० 203 में कुल किता 09 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा व घीसाराम पि० दुला कोम अहीर सा० देह दर्ज है व जमाबन्दी संवत् 2030-2033 के खाता संख्या 204 में कुल

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर 2

किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा घीसा रामू पि० दुला कोम अहीर सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2059-68 के खाता संख्या 295 में किता 9 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में रामनिवास कानाराम रामदयाल पि० तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह दर्ज है। जिसमें राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.2(4) राज/4/90/137 दिनांक 31.12.91 की पालना में व जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/5/2009/3232 दिनांक 20.03.2003 की पालना में नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27.07.04 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी वाके देह किशनगढ स्वीकार हुआ का नोट लगा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 65/1, 66, 73/1, 75/1, 75/4, 89/1, 90/1, 210/4, 566/5 कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27.07.2004 से रामनिवास कानाराम रामदयाल पिता तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा० देह के बजाय माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ के नाम स्वीकार हुआ हैं। जमाबन्दी संवत 2008-2029 के कॉलम संख्या 5 में तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर निवास स्थान निज ग्राम दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2059-62 के खाता संख्या 295 में कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में रामनिवास कानाराम रामदयाल पिता तुलसा हिस्सा 3/8, भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8, घीसा पुत्र दूला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा० देह दर्ज है।

रेस्पॉडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा अपने जवाब के समर्थन में नामान्तरण संख्या 807, जमाबन्दी संवत 2059-2062 एवं भू-प्रबंधक विभाग के संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गयी है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आराजीयात संवत 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के पूर्वज एवं रेस्पॉडेन्ट के नाम दर्ज रही। उक्त दौरान ही उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी जी वाके देह किशनगढ के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट के पूर्वज स्व० तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर के नाम दर्ज रही। उक्त आराजीयात संवत 2008 से 2029 भू-प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में तुलसा पुत्र दूला के नाम अंकित थी। जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज एवं उनके बाद अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो पुख्ता मकानात मय विद्युत कनेक्शन, कृषि कनेक्शन स्थापित कर निवास करते चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने प. खसरा नम्बर 65/1, 66, 73/1, 75/1, 15/4 89/1, 90/1, 210/4, 566/5 धारा 9 के तहत भूमि तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर के नाम दर्ज की गई। जिसका उल्लेख भू-प्रबंध विभाग की खतौनी सम्वत 2008 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट के पूर्वज व उनके बाद अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट के पूर्वज को किसी भी प्रकार की

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

कोई विधिक सूचना नहीं दी, ना ही सुनवाई का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया है। जबकि बिना विधिक सूचना व बिना सुने कार्यवाही नहीं की जा सकती। बल्कि एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन नामान्तरण पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मिसल बंदोबस्त संवत्, 2008 से 2029 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में तुलसा पुत्र रेस्पोंडेन्ट के नाम दर्ज रही। कृषक का नाम बिना किसी वैध आदेश के विलोपित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माफी मन्दिर किशन बिहारी दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नहीं रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित तुलसा के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा तुलसा की मृत्यु के बाद अपीलान्त के पूर्वज एवं रेस्पोंडेन्ट का नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनन जांच पडताल करने के बाद दर्ज हुआ, जो काबिज काशत चले आ रहे हैं। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज व अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज रहे। माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित तुलसा को माफी रिजम्पसन की धारा 9 एवं काशतकारी अधिनिय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाशत में दर्ज थी वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्त के पूर्वाधिकारी तुलसा का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था, अपीलान्त के पूर्वाधिकारी काबिज काशत खातेदार रहे एवं उनकी मृत्यु उपरान्त निरन्तर अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट काबिज काशत रहे। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र का गलत अवलोकन कर न्यायिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। सन् 2004 में अर्थात् संवत् 2059 से 2062 में 50 वर्ष से अधिक समय बाद खातेदारी अधिकार बिना सूचना एवं बिना सुने बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाट एवं रेस्पोंडेन्ट के खातेदारी हक समाप्त करके उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के प्रचलित प्रावधानों के विरुद्ध होने के बावजूद भी अधिकार माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी को हस्तान्तरित कर दिये। अपीलाधीन आदेश विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत पारित हैं, जो प्रारम्भतः ही प्रभाव शून्य हैं। अपीलान्त, एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी का नाम बतौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था। उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान् की जांच कर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की गई। यह अंकन स्वतः ही नहीं होते हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नहीं किया जा सकता, आदि को दरकिनार कर विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया। उक्त भूमि 1952 में जागीर रन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात् 08/02/1952 का माफी किशन बिहारी के नाम खुद काशत भूमि दर्ज नहीं थी। बल्कि संवत् 2008 से 2029 में कृषक के कॉलम में अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज तुलसा पुत्र दूला दर्ज हैं। अर्थात् भूमि पर काशत तुलसा द्वारा की जा रही थी, जो जागीर एक्ट की

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

धारा 9 एवं आरटी एक्ट के प्रावधानों की पालना में भूमि निरन्तर कृषकों के नाम दर्ज रही। जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे। उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश में दर्ज नहीं थी, के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की तह तक नहीं जाकर अवलोकन किये बिना उक्त अपीलधीन आदेश दिनांक 27/07/2004 द्वारा अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट का उनके पूर्वाधिकारी से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया, जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। जब अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चात्तर्ती इन्दाज को गलत नहीं माना जा सकता। न ही उक्त इन्दाज तत्समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से किया हुआ माना जावेगा, आदि तथ्यों को दरकिनारा कर उक्त अपीलधीन निर्णय पारित किया। खुदकाश भूमि धारा 2(1) में परिभाषित है कि जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काशत की जाती है "End cultivated personalty" वह खुदकाश मानी जावेगी। उक्त आरामी पर अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी का नाम काश्तकार के रूप में संवत् 2008 से 2029 की खतौनी के कॉलम संख्या 5 में दर्ज है, उत्तरोत्तर निरन्तर 2059 से 2062 तक रही, वही कृषक होगा। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिजम्पशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकरण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी खातेदार हो गये। नामान्तकरण प्रक्रिया एक किसकल प्रोसिडिंग होती है, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट को उनके हक व अधिकारों की कृषि भूमि से उक्त अपीलधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महसूम कर दिया, जो क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण प्रभावहीन हैं। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27/07/2004 को अपास्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलधीन आराजी खसरा नम्बर 65/1, खसरा नम्बर 66, खसरा नम्बर 73/1, खसरा नम्बर 75/1, खसरा नम्बर 75/4, खसरा नम्बर 89/1, खसरा नम्बर 90/1, खसरा नम्बर 210/4, खसरा नम्बर 566/5 माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज है। सेटलमेंट जमाबन्दी के खाता संख्या 195 में उक्त खसरा नंबरान कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ़ रेनवाल के पुजारी राधिकादास चेला हरिकशन दास ब्राह्मण स्वामी सा० देह फौत हो गए। कॉलम नम्बर 05 में तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2015-18 के खाता सं० 203 में कुल किता 09 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा व घीसाराम पि० दुला कोम अहीर सा० देह दर्ज है व जमाबन्दी संवत् 2030-2033 के खाता संख्या 204 में कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा घीसा रामू पि० दुला कोम अहीर सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2059-68 के खाता संख्या 295 में किता 9 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में रामनिवास कानाराम रामदयाल पि० तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह दर्ज है। जिसमें राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.2(4) राज/4/90/137 दिनांक 31.12.91 की पालना में व जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/5/2009/3232 दिनांक 20.03.2003 की पालना में नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27.07.04 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी वाके देह किशनगढ़ स्वीकार हुआ का नोट लगा

हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 65/1, 66, 73/1, 75/1, 75/4, 89/1, 90/1, 210/4, 566/5 कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27.07.2004 से रामनिवास कानाराम रामदयाल पिता तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह के बजाय माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ के नाम स्वीकार हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2008-2029 के कॉलम संख्या 5 में तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर दर्ज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण लभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27/07/2004 के विरुद्ध विचाराधीन है। प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने जवाब/बिंदुवार तथ्य मक रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण में अंकित किया है कि भू प्रबन्ध जमाबन्दी के खाता संख्या 19 में खसरा नम्बर 65/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 75/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 90/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/4 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 566/5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ रेनवाल के पुजारी राधिकादास चेला हरिकशन दास ब्राह्मण स्वामी सा.देह हस्तेडा फौत हो गए काविज हरी बल्लभदास दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 05 में तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर निवास स्थान निज ग्राम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2059-68 के खाता संख्या 295 में किता 9 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में रामनिवास कानाराम रामदयाल पि० तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह दर्ज है।"

तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न एवं अपीलांत द्वारा प्रस्तुत भू-प्रबंध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2008-2029 के खाता संख्या 195 के खसरा नम्बर 65/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 73/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 75/4 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 89/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 90/1 रकबा 1 बीघा 18

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

बिस्वा, खसरा नम्बर 210/4 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 566/5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में "माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ़ रेनवाल के पुजारी राधिकादास चेला हरिकशन दास ब्राह्मण स्वामी सा.देह हस्तोडा फौत हो गए काबिज हरी बल्लभदास" दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 05 नाम कृषक में "तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर निवास स्थान निज ग्राम" अंकित है।

जमाबन्दी संवत् 2015-18 के खाता सं० 203 में कुल किता 09 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा व घीसाराम पि० दुला कोम अहीर सा० देह दर्ज है व जमाबन्दी संवत् 2030-2033 के खाता संख्या 204 में कुल किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में तुलसा घीसा रामू पि० दुला कोम अहीर सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2059-68 के खाता संख्या 295 में किता 9 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में रामनिवास कानाराम रामदयाल पि० तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह दर्ज है। इसी दौरान विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि सम्पूर्ण जरिये अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 807 द्वारा माफी मन्दिर श्री किशनबिहारी जी वाके देह किशनगढ़ के नाम दर्ज कर दी गई। उपरोक्त जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर की खुदकाशत भूमि थी जो विरासतन अंतरित होकर रामनिवास कानाराम रामदयाल पि० तुलसा हिस्सा 3/8 भूरी देवी बेवा तुलसा हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र दुला हिस्सा 1/2 कोम अहीर सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज हुयी।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27/07/2004 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरण में राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.2(4) राज/4/90/37 दिनांक 31.12.91 की पालना में व जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/5/2009/3232 दिनांक 20.03.2003 की पालना में नामान्तरण सं० 807 दिनांक 27.07.04 के द्वारा सम्पूर्ण खाता माफी मन्दिर श्री किशन बिहारी वाके देह किशनगढ़ का उल्लेख किया गया है परन्तु राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र/क्रमांक प-2 (4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 के किसी भी बिन्दु में विधिसम्मत खातेदार काशतकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (0) राज-6/07/19 दिनांक 25/11/11 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र क्रमांक प.2 (4) राज-4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रौढभूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31/12/91 की मशा के विरुद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मशा के विपरीत वैध काशतकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

राजस्थान सरकार राजस्व (प-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0क-3(2) राज-6/2007/14 जयपुर दिनांक 24/5/2007 के पैरा सं0 3 में अंकित किया है कि "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि0 13-12-91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। पैरा सं0 5 में अंकित किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को उसके विरुद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में तत्समय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है।

अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ बंदोबस्त खतौनी भू-प्रबंध विभाग संवत 2008-2029 के कॉलम संख्या 5 (नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल) में कृषक तुलसा पुत्र दूला जाति अहीर निवास स्थान निज ग्राम अंकित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में बिना विधिक प्रक्रिया, बिना जांच, नामान्तकरण संख्या **807 दिनांक 27/07/2004** द्वारा अपीलाधीन खसरा नम्बरान में खातेदार का नाम विलोपित कर दिया गया, जो कि प-2(4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13/12/91 को जारी परिपत्र/पत्र की भावना के खिलाफ था। न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्यों, रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि तत्समय राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा बिना जांच किए व बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए उक्त नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण व विधिसम्मत नहीं होने के कारण नामान्तकरण संख्या **807 दिनांक 27/07/2004** निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपतहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या **807 दिनांक 27/07/2004** को खारिज किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **22.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फंसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।



(कुन्तल विशनोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर